

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] No. 308] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2019/वैशाख 26, 1941 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2019/VAISAKHA 26, 1941

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2019

- सा. का. नि. 369(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
- (क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) "कर्मचारी" से प्राधिकरण के कर्मचारी अभिप्रेत हैं, जिसमें सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं;
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।

2471 GI/2019 (1)

3. कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति -

- (1) प्रत्येक स्तर या श्रेणी में मंजूर पदों की संख्या, भर्ती की रीति, पात्रता और प्रत्येक स्तर या श्रेणी के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट रुप में होगी।
- (2) सभी स्तर या श्रेणी में नियुक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार होगी।
- (3) प्राधिकरण, सम्यक् प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा, उनकी अभ्यर्थिता की उपयुक्तता की जांच करेगा और चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभागीय प्रोन्नित समिति को पात्र अभ्यर्थियों की सूची देगा।
- (4) प्राधिकरण, सभी पदों पर विचार करने और नियक्ति करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशें केंद्रीय सरकार को भेजेगा।

4. वेतन, भत्ते और अन्य फायदे -

- (1) प्राधिकरण के कर्मचारी का वेतन केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित वेतन मैट्रिक में स्तर के अनुसार या अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट वेतनमान होगा।
- (2) संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी या तो संवर्ग-बाह्य पद के वेतनमान में वेतन लेने या प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ मूल संवर्ग में से अपने वेतन लेने का चुनाव कर सकेगा ।
- (3) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, नये पेंशन स्कीम द्वारा शासित किए जाएंगे।
- (4) प्राधिकरण के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं है, वे पेंशन और सेवानिवृत्त प्रसुविधाओं के पात्र होंगे, जो उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन, यदि कोई हो, में उन्हें उपलब्ध है।
- (5) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी से भिन्न कर्मचारी के लिए प्राधिकरण समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी निबंधन और शर्तों पर कर्मचारियों के कल्याण के लिए समय-समय पर ऐसी स्कीमों की विरचना कर सकेगी या ऐसे अन्य फायदों की अनुमति दे सकेगी।
- 5. **शासकीय विदेशी दौरे** (1) प्राधिकरण में सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के शासकीय विदेशी दौरे अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे।
 - (2) समय-समय पर यथासंशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे।
- 6. अविशष्ट उपबंध प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और केंद्रीय सरकार का विनिश्चय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- 7. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	नहीं (8)	(9)
1. सचिव	01* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	स्तर-14 (रु.144200-218200)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जाएगी	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (144200-218200 रुपए) के स्तर 14 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (131100-216600 रुपए) के स्तर 13क में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रुपए) के स्तर 13 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;	सिचव (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय) – अध्यक्ष अध्यक्ष (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण) - सदस्य संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय) - सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य।	लागू नहीं होता

T	
और	
जिन्होंने वित्त, अर्थशास्त्र, अन्वेषण, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन से संबंधित	
मामलों में संव्यवहार करने का कम से कम बीस वर्ष का अर्हता अनुभव रखता हो।	
टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी	
प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र	
नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या	
किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर	
बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी । यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की	
अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. कार्यकारी निदेशक	05* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	रुपए 120500-3500(2)- 127500(3)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति : श्रेणी 'च' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।	1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	लागू नहीं होता
प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।		का अध्यक्ष – अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	
	अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने कम से कम अट्ठारह वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो:	का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य	
	(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार	3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त	

पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो;

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रुपए) के स्तर 13 में नियमित आधार पर नियक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा हो;

और विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण, प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम छह वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव हो; या

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में बीस से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो।

और

निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

आवश्यक: वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री

प्रोन्नति:

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,

सचिव - सदस्य

4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य।

प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार,
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं
होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह
अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम
अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3. मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)	04* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)		श्रेणी च (रु. 101900- 3000(4)-113900(5)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर	प्रोन्नति: श्रेणी 'ड.' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।	1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	लागू नहीं होता
प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा:	का अध्यक्ष – अध्यक्ष	
द्वारा।	अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी:	 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य 	
	(i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार	3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	
	पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या	या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त	
	(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित	सचिव - सदस्य	
	आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और	4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट	
	विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से	होगा - सदस्य।	
	कम पांच वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव हो; या		
	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय,		

पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में चौदह से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो।

और

निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।

आवश्यक: वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर

वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री

प्रोन्नति:

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4. महाप्रबंधक	04* (2019)	लागू नहीं होता	श्रेणी ङ	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(जीएम)	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)		72800-2250/- (1) – 75050-2400 (2) - 79850- 2500 (3) - 87350-3000 (5) – 102350 (12) रुपए					

(10)	(11)	(12)	(13)
*	प्रोन्नित: श्रेणी 'घ' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो।	1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	लागू नहीं होता
प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा:	का अध्यक्ष - अध्यक्ष	
द्वारा।	अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी:	2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	
	 (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित	का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य 3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण	
	आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या	या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त	
	 (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित	सचिव - सदस्य	
	आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और	4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट	
	विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण, प्रशासन के क्षेत्र में कम से	होरा एक बाह्य विशेषश नामानादेश होगा - सदस्य।	
	कम पांच वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव हो;		
	या		
	भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय,		
	पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिन्हें		
	अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में चौदह से कम का अनुभव न हो, जिसमें विधि,		
	अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम		
	सात वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव हो।		
	और		
	निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखता हो।		
	आवश्यक : वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त		

विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर वां**छनीय:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री प्रोन्नति:

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्तिः

टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	05* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी घ 68500-2150 (2) – 72800- 2250 (6) – 86300 (9) रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नित, जिसके न हो सकने पर प्रितिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।	प्रोक्तिः श्रेणी 'ग' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। प्रितिनेयुक्ति या बल्पकालिक संविदाः अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारीः (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (78800-209200 रुपए) के स्तर 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में हो; (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधि, अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव हो; और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पिल्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में दस से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो। अत्रक्षिक शैक्षिक अर्हता रखता हो। आवश्यकः वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर वास्त्रनीयः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्नी प्रोक्तिः टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी	 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव - सदस्य राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य। 	लागू नहीं होता

अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,	
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	
जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
प्रतिनियुक्ति:	
टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,	
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं	
होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी	
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य	
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह	
अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम	
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
जानु ताना जानवर्ग प्रांत करन का जातन ताराख का उठ वन त जावक नहां हागा।	

(एजीएम) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 49000-1750 (3) - 54250- 1900 (2) - 58050 - 2000 (4) 66050-ईबी-2000 (2)-	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
70050-2150(1) 72200 (13) रुपए	` `	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता	लागू नहीं होता	49000-1750 (3) - 54250- 1900 (2) - 58050 - 2000 (4) 66050-ईबी-2000 (2)- 70050-2150(1) 72200	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा।	प्रोक्ति: श्रेणी 'ख' में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। प्रतिनेयुक्ति या अल्पकालिक संविदा: अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' के ऐसे अधिकारी: (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (67700-208700 रुपए) के स्तर 11 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रुपए) के स्तर 10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की और विधि, अन्वेषण, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का पश्च अर्हता अनुभव हो; या भारतीय रिजर्व वैंक, वैंक, वित्तीय संस्थान, विनियामक निकाय, कानूनी निकाय, पब्लिक सेक्टर उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे अधिकारी, जिनके अधिकारी श्रेणी या प्रबंध श्रेणी में दस से कम का अनुभव न हो, जिसके विधि, अन्वेषण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो। अत्रव्यण, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, संपरीक्षण प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का पद अर्हता अनुभव हो। अत्रवस्यक्तः वित्त या चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री प्रोक्ति: टिप्पण: जहां ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तव जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इन्तमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में	1. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य 3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संयुक्त सचिव - सदस्य 4. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक बाह्य विशेषज्ञ नामनिर्दिष्ट होगा - सदस्य।	लागू नहीं होता

प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
प्रतिनियुक्तिः
टिप्पण: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार,
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं
होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी
अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह
अन्य दो वर्षों के लिए विस्तारित की जा सकेगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम
अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. प्रबंधक	13* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	समूह ख रु. 35150-1750 (9)- 50900-ईबी-1750(2)- 54400-2000(4)- 62400 (16)	चयन	21 से 30 वर्ष के मध्य	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त या किसी अन्य विद्या में स्नातकोत्तर या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या लेखांकन चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात के साथ प्रशासन लेखा परीक्षण, लेखा- कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात् न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले	(क) चालीस प्रतिशत: सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा के पश्चात् वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से) (ख) तीस प्रतिशत: प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ग) तीस प्रतिशत* प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर	प्रोन्नितः समूह क में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदाः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी और कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारीः (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56100-177500 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और जिनके पास प्रशासन, लेखा परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव है।	राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष -अध्यक्ष ; राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य - सदस्य ; उप-सचिव या निदेशक (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट मामले मंत्रालय) -सदस्य ; राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नामित एक वाह्य विशेषज्ञ -सदस्य	लागू नहीं होता

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों,	
वित्तीय संस्थानों, विनियामक	
निकायों, कानूनी निकायों,	
पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अन्य	
सरकारी संस्थानों के अधिकारी	
जिनके पास कम से कम छह वर्ष	
का अनुभव अधिकारी काडर में	
या कनिष्ठ प्रबंधन समूह में हो और जिसमें से अईता के पश्चात्	
न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव	
प्रशासन, लेखा परीक्षण, लेखा-	
कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना	
प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के	
क्षेत्र में हो,	
और	
जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता	
रखते हैं,-	
किसी मान्यताप्राप्त	
विश्वविद्यालय या संस्थान से	
वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त या	
किसी अन्य विद्या में स्नातकोत्तर	
या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या	
चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय	
प्रशासन निष्णात के साथ	
प्रशासन, लेखा- परीक्षण, लेखा-	
कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना	
प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के	
क्षेत्र में अर्हता।	
प्रोन्नित:	
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ	

व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंत् यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से. इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:-

टिप्पण--पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर

प्रतिनियुक्ति की अवधि	है,
साधारणतया तीन वर्ष से अ	
नहीं होगी यह दो और वर	ि के
लिए बढ़ायी जा सकेगी	
प्रतिनियुक्ति की अधिक	
अवधि पांच वर्ष से अधिक	नहीं
होगी । प्रतिनियुक्ति पर निर्	। कि
के लिए अधिकतम आयु स	ोमा
आवेदन प्राप्त करने की अं	तेम
तारीख को 56 वर्ष से आ	
नहीं होगी ⊦)	
नहा हागा ।)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक प्रबंधक	13* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	लागू नहीं होता	समूह क रु. 28150-1550 (4)- 34350-1750(7)-46600- ईबी-1750(4)-53600- 2000(1)- 55600	चयन	21 से 30 वर्ष के मध्य	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या किसी अन्य विद्या में निष्णात या वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरी में प्रोद्योगिकी स्नातक या चार्टर्ड एकाउंटेंट या वित्त या लेखांकन या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषण या विधि में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन निष्णात अर्हता के पश्चात् लेखांकन या लेखा परीक्षण या विधि या बैंक में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(क) साठ प्रतिशत: सीधी भर्ती (लिखित परीक्षा के पश्चात् वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से) (ख) चालीस प्रतिशत-प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा के आधार पर जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदाः केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पिल्लक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारीः (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 (47600-151100 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142400 रु0) में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और जिनके पास प्रशासन लेखा परीक्षण, लेखा-कर्म, अर्थशास्त्र, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, अन्वेक्षण, विधि के क्षेत्र में अर्हता के पश्चात् न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव है। या भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विनियामक निकायों, कानूनी निकायों, पिल्लक सेक्टर उपक्रमों या अन्य सरकारी संस्थानों के ऐसे	 राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष - अध्यक्ष ; राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक पूर्णकालिक सदस्य- सदस्य ; उप-सचिव या निदेशक (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कारपोरेट मामले मंत्रालय)-सदस्य ; राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा नामित एक वाह्य विशेषज्ञ -सदस्य 	लागू नहीं होता

अधिकारी जिनके पास कम से	
कम दो वर्ष का सुसंगत अनुभव	
अधिकारी काडर में या कनिष्ठ	
प्रबंधन समूह में है	
और	
जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता	
रखते हैं,-	
किसी_ मान्यताप्राप्त	
विश्वविद्यालय या संस्थान से	
कंप्यूटर अनुप्रयोग या किसी	
अन्य विद्या में निष्णात या	
वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त में	
स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान या	
इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी	
स्नातक या चार्टर्ड एकाउंटेंट या	
वित्त या लेखांकन या चार्टर्ड	
वित्तीय विश्लेषण या विधि में	
विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय	
प्रशासन ।	
प्रतिनियुक्ति:-	
टिप्पण पोषक प्रवर्ग के ऐसे	
विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति	
की सीधी पंक्ति में है,	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं	
होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	
लिए विचार किए जाने के पात्र	
नहीं होंगे ।	
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके	
अन्तर्गत केद्रीय सरकार के उसी	

या किसी अन्य संगठन/विभाग में
इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य काडर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
है, साधारणतया तीन वर्ष से
अधिक नहीं होगी यह दो और
वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी
तथा प्रतिनियुक्ति की अधिकतम
अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु सीमा आवेदन
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)
00 11 (1 9119 th 161 61 11 1)
·

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. वैयक्तिक या साधारण सहायक	4* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	लागू नहीं होता	श्रेणी-3 रु. 20650-1150 (3)-24100- 1225(1)-25325-1325(3)- 29300-1475(6)-38150- 1525(2)-41200-1740(2)- 44680'-1875(1)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या अल्पकालिक संविदा द्वारा	अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या	3. कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग	लागू नहीं होता

लिए विचार किए जाने के पात्र
नहीं होंगे । इसी प्रकार,
प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
नियुक्ति के लिए विचार किए
जाने के पात्र नहीं होंगे ।)
(प्रतिनियुक्ति की अवधि,
जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय
सरकार के उसी या किसी अन्य
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति
से ठीक पहले धारित किसी
अन्य काडर बाह्य पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
साधारणतया तीन वर्ष से
अधिक नहीं होगी यह दो
और वर्ष के लिए बढ़ायी जा
सकेगी तथा प्रतिनियुक्ति की
अधिकतम अवधि पांच वर्ष से
अधिक नहीं होगी ।
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के
लिए अधिकतम् आयुँ सीमा
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम
तारीख को 56 वर्ष से अधिक
नहीं होगी।)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10. वैयक्तिक या सामान्य सहायक	03 *(2019) *(कार्यभार के आधार पर	लागू नहीं होता	ग्रेड 2 13150- 750(3)- 15400- 900(4)-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ लोक राज्य क्षेत्र/लोक सेवा उपक्रमों या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (i) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में	1.सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. उपसचिव या निदेशक राष्ट्रीय	लागू नहीं होता
	किया जा		19000-							नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण	प्राधिकरण -सदस्य	

Г		
सकता है) ।	1200(6)-	किया हुआ है ; या 3. कार्यपालिका
	26200-	(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय
	1300(2)-	(29,200-92,300) या समतुल्य में रिपोर्टिंग
	28800-	नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्राधिकरण -सदस्य
		उस श्रेणी में न्यूनतम चार वर्ष की
	1480(3)-	नियमित सेवा की हो । और.
	33240-	जार, जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं
	1750(1)-	हो :-
	34990	ुरः - आवश्यक - किसी मान्यता प्राप्त
	<u>रू.</u> ।	विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री या समत्ल्य ;
		और
		वांछनीय –
		(i) किसी विनियामक प्राधिकरण या
		कानूनी निकायों या अन्य सरकारी
		संस्थाओं के साथ कार्य करने का
		अनुभव ;
		(ii) कंप्यूटर में कार्य का ज्ञान ;
		(॥) आशुलिपि तथा टंकण में कौशल
		प्राप्त हो ।
		प्रतिनियुक्ति :
		टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय
		अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में
		है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
		विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी
		प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
		नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
		पात्र नहीं होंगे।
		(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
		कन्द्राय सरकार क उसा या किसा अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक
		। । त्राठग/।पंसागं स इस ।नयुाक्तं स ठाक

 				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद
				पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
				साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं
				होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और
				प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को
				पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
				प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के
				लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त
				<u> </u>
				करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से
				अधिक नहीं होगी
				11.11.16.16.11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11. वैयक्तिक या सामान्य सहायक	03 *(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	लागू नहीं होता	ग्रेड 1 10940- 380(4)- 12460- 440(3)- 13780- 520(3)- 15340- 690(2)- 16720- 860(4)- 20160- 1180(3)- 23700 रू.।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा -	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ लोक राज्य क्षेत्र/लोक सेवा उपक्रमों या कानूनी या स्वायत संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21,700-69,100) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में न्यूनतम दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। और, जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हो:- आवश्यक - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री या समतुल्य;	वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2.उपसचिव या निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य 3.कार्यपालिका निदेशक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग	लागू नहीं होता

(ा) किसी विविधासक प्राधिकरण या कानूनी निकासों या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुकाद ; (ा) कंप्यूटर में कार्य कार्य करने का अनुकाद ; (ा) अप्शिनिष्ठ का से कीशन प्राप्त हों। (ा) अप्शिनिष्ठ : दिल्पण - पोपन प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोजिति की गीधी पक्ति में है, प्रतिनिष्ठिक पर नियुक्ति के लिए विवार किए जाने के गात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनिष्ठिक व्यक्ति प्रोजित हों होंगे। (प्रतिनिष्ठिक के लिए विवार किए जाने के गात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनिष्ठ क्यों के प्राप्त नहीं होंगे। (प्रतिनिष्ठिक के लिए विवार किए जाने के गात्र नहीं होंगे। (प्रतिनिष्ठिक के अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्त्रीहोंगे। (प्रतिनिष्ठिक की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्त्रीहोंगे। प्रतिनिष्ठिक की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्त्रीहोंगे। इसे अप्यूष्ट के ही या विभाग के हिंदी होंगी। प्रतिनिष्ठिक की अवधि के ही है, साधारणत्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। इसे अल्य के गामले में दो वर्ष और प्रतिनिष्ठिक की अधिकतण अवधिक को प्रधिकत को प्रधिकत का अधिकतण अवधिक को प्रधान के प्रधितिष्ठिक पर गांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतस आयु मीमा आयेदन प्राप्त धारी की स्वार्ण से करने ही विश्वक्ति करने की विश्वक्ति करने कि स्वार्ण से अधिक स्वर्ण से नियुक्ति के लिए अधिकतस आयु मीमा आयेदन प्राप्त करने ही विश्वक्ति करने कि समें से स्वर्ण के समें से स्वर्ण के साल के से से सियारीय को 366 वर्ष से	Г	 	
कानूनी निकासों या अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुभव ; (0) कंप्यूटर में कार्य का जान ; (0) आशुलिपि तथा टंकण में कौशल प्राप्त हो । प्रितिकृतिः टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोप्नति की सीधी पंकि से हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाय नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोप्नति द्वारा नियुक्ति के निष्ए विचार किए प्रोप्त होंगे होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, त्रिक्त कं अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संस्तराशियाग में इस नियुक्ति के श्रीक पट्टले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणनया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी इसे अन्य के साथ से श्री अरिष् प्रतिनियुक्ति की अवधिक से अधिक नहीं होंगी इसे अन्य के साथ के से विभिन्न की भवित के से परित्तिकृति के विश्विकत्य अवधि को पाच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के निष्ण अधिकतम आयु सीमा आवित्व प्राप्त स			वांछनीय –
संस्थाओं के साथ कार्य करने का अनुमत ; (ण) कंप्युटर में कार्य का जान ; (ण) अध्युनिषि नथा टंकण में कीशल प्राप्त हो । प्रितिन्युक्ति : टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोप्ति की सीधी पील में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोप्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनाविभाग में इस नियुक्ति के शिक पहले धारित किसी अन्य संगठनाविभाग में इस नियुक्ति के शिक पहले धारित किसी अन्य कांत्र वाद्वा पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधिक नहीं होंगी। इसे अन्य के मामले में दी वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतन अवधि को पात्र वर्ष में अधिक नहीं होंगी। इसे अन्य के मामले में दी वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतन अवधि को पात्र वर्ष नहीं होंगी। इसे अन्य के मामले में दी वर्ष और प्रतिनियुक्ति के अधिकतन अवधि को पात्र वर्ष नाम अधिक नहीं होंगी। पात्र वर्ष की व्यक्तितम अधिकतन अवधि को पात्र वर्ष की पात्र वर्ष माम अधिक नहीं की स्विकतन अवधि को पात्र वर्ष माम अधिक नहीं की स्विकतन अवधि को स्विकतन अधिकतन अधिकतन अधिकतन अधिकतन आधिकत की ठित वर्ष में किसी करने की अधिकतन आधिकता आधी का ठित वर्ष में किसी करने की अधिकतन आधी सीधा आधीत करने की अधिकतन आधीत सीधा आधीत करने की विभाग सिक्ति के विकतन आधीत सीधा आधीत करने की किसी सीधा सिक्ति के विकतन साम सिक्ति के विकतन साम सिक्ति की विकतन साम सिक्ति की विकतन साम सिक्ति की विकतन साम सिक्ति की विकतन साम करने की सिक्ति की विकतन साम सिक्ति की विकतन साम सिक्ति की विकत सिक्ति सिक्ति सिक्ति की विकत सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक्ति सिक			(i) किसी विनियामक प्राधिकरण या
अनुभव ; (ण) कंप्यूटर में कार्य का ज्ञान ; (ण) आशृतिषि तथा टेकण में कौशल प्राप्त हो प्रितिन्युक्ति : टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोप्तति की सीधी पंक्ति में है, प्रतितियुक्त पर निवृक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतितियुक्त व्यक्ति प्रोप्तति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के शिक्ष पहले प्राप्ति किसी अन्य कोडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अधि है, साधारणतया तीन वर्ष में अधिक नहीं होंगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष के तक नहीं बहाया ज्ञा सकता है। प्रतिनियुक्ति कर पांच वर्ष की नियुक्ति के विश्विकतम अवधि नियुक्ति के विश्विकतम आवित प्राप्ता वर्ष में माम लोगे हो। प्रतिनियुक्ति कर पांच वर्ष की नियुक्ति के विश्विकतम आवित प्राप्ता करने की अधिकतम आवित प्राप्ता करने की स्थिकतम आवित प्राप्ता करने की अधिकतम आवित प्राप्ता करने की अधिकतम आवित प्राप्ता करने की अधिकतम आवित प्राप्ता करने की स्थान करने के स्थान करने की स्थान करने कि स्थान करने की स्थान करने कि स्थान करने की स्थान करने की स्थान करने की स्थान करने कि स्थान करने कि स्थान करने की स्थान करने कि स्थ			कानूनी निकायों या अन्य सरकारी
(॥) अल्युटर में कार्य का जान ; (॥) आल्लिपि तथा टंकण में कौशल प्राप्त हो। प्रितिमुक्ति : टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोप्ति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोप्तित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंवर्गत, वेण्टीक साथ वात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंवर्गत, वेण्टीका सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनियिमा में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य वाहर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी इसे अन्य के सामने में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अवधिक तम हीं वहाय जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि को पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रप्त			संस्थाओं के साथ कार्य करने का
(॥) आश्विपि तथा टंकण में कौशल प्राप्त हो। प्रितिनेषुक्तिः टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोजित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोजित होरा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में टीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनयुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को			अनुभव ;
प्राप्त हो। प्रितिनुष्तिः टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्त में है, प्रतिनिष्ठक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनिश्वमाण में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं वहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को			(॥) कंप्यूटर में कार्य का ज्ञान ;
प्राप्त हो। प्रितिनुष्तिः टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्त में है, प्रतिनिष्ठक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठनिश्वमाण में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं वहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को			(।।।) आशुलिपि तथा टंकण में कौशल
टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोक्षति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोक्षति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर वाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति किसी अन्य कांडर वाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहागा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनयुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			प्रतिनियुक्ति :
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष में अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष में अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत्या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त			
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं वहाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			पात्र नहीं होंगे ।
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,
पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अविध को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
साधारणतयाँ तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अविध को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अविध को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है । प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से			
			अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12. विष्ण निजी सचिव	03 *(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	लागू नहीं होता	स्तर 8 (47600- 105900 रू.)।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा -	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-	1. सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. मुख्य महा प्रबंधक या महा प्रबंधक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय -सदस्य 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, -सदस्य	लागू नहीं होता

	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त
	करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13. निजी सचिव	01 *(2019) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	लागू नहीं होता	स्तर 7 (44900- 99800 रू.)।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्त या अल्पकालिक संविदा द्वारा ।	नियमित आधार पर नियुक्ति के	वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -अध्यक्ष 2. मुख्य महा प्रबंधक या महा प्रबंधक, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य 3. अवर सचिव, राष्ट्रीय वित्तीय	लागू नहीं होता

आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या समतुल्य ।	
समतुल्य।	
वांछनीय :	
किसी विनियामक प्राधिकरण या कानूनी	
निकायों या अन्य सरकारी संस्थाओं के	
साथ कार्य करने का अनुभव ।	
प्रितिनियुक्ति :	
टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय	
अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में	
है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी	
प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निते द्वारा	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
पात्र नहीं होंगे ।	
(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,	
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य	
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक	
पहले धारित किसी अन्य काँडर बाह्य पद	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं	
होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और	
प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को	
पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है ।	
प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त	
करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14. चालक	02	लागू नहीं	ग्रेड 2	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजन के लिए दो	प्रतिनियुक्ति ।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)	1. सचिव, राष्ट्रीय	लागू नहीं

*(2019)	होता।	(19,900-	होता।	होता ।	होता।	वर्ष ।		कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स	रिपोर्टिंग प्राधिकरण	होता
		44,400	,					स्तर-2 (19,900-63,900) रुपए में	-अध्यक्ष	
* (कार्यभार		रा, 100 रू.)।					सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए	नियमित समूह 'ग' के ऐसे कर्मचारियों में,	0	
के आधार		(%.)					प्रतिनियुक्ति या	जो मोटर कार चलाने के लिए सक्षमता	2. मुख्य महा प्रबंधक	
पर परिवर्तन							पुनर्नियोजन ।	प्राप्त करने की चालक परीक्षण के आधार	*	
किया जा							0	पर मोटर कार के लिए वैध चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो जिसके न हो	राष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण -सदस्य	
सकता है) ।								सकने पर, सवार हरकारा का पद धारण		
								करने वाले कर्मचारिवृन्द या केन्द्रीय	3. अवर सचिव,	
								सरकार के अन्य मंत्रालयों वेतन मैट्रिक्स	राष्ट्रीय रिपोर्टिंग	
								स्तर-2 (19,900-63,900) रुपए में	प्राधिकरण या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, -सदस्य	
								नियमित समूह 'ग' कर्मचारिवृन्द में से	काय मत्रालय, -सदस्य	
								रखा जाएगा ;		
								आवश्यक –		
								(1) जो मोटर कार के लिए वैध		
								चालक अनुज्ञप्ति धारण करता		
								हो ;		
								(2) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी		
								को यान की छोटी-मोटी त्रुटियों		
								को ठीक करने के योग्य होना		
								चाहिए) :		
								(3) न्यूनतम तीन वर्ष के लिए		
								मोटर कार चलाने का अनुभव		
								होना चाहिए ; और,		
								(4) दसवीं कक्षा पास		
								सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति		
								या पुनर्नियोजन ।		
								सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में		
								भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की		
								अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं		

Г	<u> </u>		<u> </u>
			या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले
			हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और
			विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों
			पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें
			सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है ;
			तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने
			दिया जा सकता है ।
			प्रतिनियुक्ति :
			टिप्पण - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय
			अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में
			है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
			विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी
			प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
			नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
			पात्र नहीं होंगे ।
			(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत,
			केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
			संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक
			पहले धारित किसी अन्य कॉंडर बाह्य पद
			पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है,
			साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं
			होगी । इसे अन्य के मामले में दो वर्ष और
			प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को
			पांच वर्ष तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
			प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष की नियुक्ति के
			लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त
			करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से
			अधिक नहीं होगी ।
		1 1	

[फा. सं. एनएफआरए-01/1/2019-कॉम्प.-एमसीए] के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2019

- **G.S.R. 369** (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 132 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement. -** (*I*) These rules may be called the National Financial Reporting Authority (Recruitment, Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Secretary, Officers and Other Employees of Authority) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions. -** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (b) "Authority" means the National Financial Reporting Authority (NFRA) constituted under sub-section (1) of section 132 of the Act;
 - (c) "employee" means employee of the Authority including Secretary, Officers and other employees;
 - (d) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.
- **3. Recruitment and appointment of employees.-** (1) The number of posts sanctioned at each level or grade, mode of recruitment, eligibility and composition of Departmental Promotion Committee for each levels or grade shall be such as specified in the Schedule.
- (2) Appointment in all levels or grade shall be made by the Central Government as per the recommendations of the Departmental Promotion Committee as specified in the Schedule.
- (3) The Authority shall invite applications from eligible candidates after observing due process, examine suitability of their candidature and provide the list of eligible candidates to the Departmental Promotion Committee to undertake the selection process.
- (4) The Authority shall forward the recommendations of the Departmental Promotion Committee to the Central Government for consideration and appointment to all the posts.
- **4. Pay, allowances and other benefits.-** (*1*) Pay of an employee of the Authority shall be such as per the Level in pay matrix as approved by the Central Government or pay scale as specified in the Schedule.
- (2) An employee appointed on deputation to an ex-cadre post may elect to draw either the pay in the scale of pay of the ex-cadre post or his pay in the parent cadre with deputation allowance.
- (3) The Secretary, officers and employees of the Authority who are not on deputation shall be governed by the new pension scheme.
- (4) The Secretary, officers and employees of the Authority who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or organization.
- (5) For an employee other than an employee on deputation to the Authority, the Authority may, from time to time, frame such schemes and allow such other benefits for the welfare of the employees on such terms and conditions as may be approved by the Central Government from time to time.
- **5. Official visits abroad.-** (1) The official visits to abroad by Secretary, officers and other employees of the Authority shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Authority or any other Member or officer of the Authority authorized by the Chairperson.
- (2) Instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time shall be applicable.
- **Residuary provision.-** Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary, Officers and Other Employees of the Authority with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Authority to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government shall be binding on the parties.
- **7. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Secretary	01 *(2019). * (Subject to variation dependent on workload)	Not applicable	Level-14 (Rs.144200- 218200)	Selection.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	Group A Officers from All India or Central Civil Services: (i) in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 14 (Rs. 144200- 218200) in the pay matrix; or (ii) with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 13A	1. Secretary (Ministry of Corporate Affairs)-Chairman; 2. Chairperson (National Financial Reporting Authority)-Member; 3. Joint Secretary (National Financial Reporting Authority or Ministry of Corporate Affairs)-Member;	Not applicable.

					(Rs. 131100-	4. One	
					(KS. 131100-		
					216600) in the	External	
					pay matrix; or	Expert to be	
						nominated	
					(iii) with three	by the	
					years of	Central	
					regular service	Government-	
					in the grade	Member.	
					rendered after	Wichioci.	
					appointment		
					thereto on a		
					regular basis		
					in Level-13		
					(Rs. 123100-		
					215900) in the		
					pay matrix.		
					Paj mana.		
					AND		
					AND		
					Possessing a		
					minimum of		
					twenty years'		
					experience in		
					dealing with		
					issues relating		
					to finance,		
					economics,		
					investigation,		
					accountancy,		
					audit,		
					administration.		
					Note:		
					Departmental		
					officers in the		
					feeder		
					category who		
					are in the		
					direct line of		
					promotion will		
					not be eligible		
					for		
					consideration		
					for		

appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or	
on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
(Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
deputation including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
including period of deputation in another ex- cadre post held immediately preceding this appointment in	
period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in	
another excadre post held immediately preceding this appointment in	
cadre post held immediately preceding this appointment in	
held immediately preceding this appointment in	
immediately preceding this appointment in	
preceding this appointment in	
appointment in	
appointment in	
the same or	
the same of	
some other	
orginasition or	
department of	
the Central	
Government,	
shall	
ordinarily not	
exceed three	
years. It may	
be extendable	
for another	
two years and	
the maximum	
period of	
deputation	
shall not	
exceed five	
year.	
The maximum	
age-limit for	

					appointment	
					by deputation	
					or contract	
					shall be not	
					exceeding fifty six years as on	
					six years as on	
					the closing	
					date of receipt	
					of	
					applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	05	Not	Rs.120500-	Selection	Not	Not	Not	Not	Promotion,	Promotion:	1.	Not applicable
Executive		applicable	3500(2)-	Sciection	applicable	applicable	applicable	applicable	failing	Minimum	Chairperson,	140t applicable
Director	*(2019).	иррисцые	127500(3)		иррисцоге	аррисавие	аррисаоте	иррисцоге	which by	three years of	National	
Director	* (Subject		127300(3)						deputation	service in	Financial	
	to								or Short	Grade F.	Reporting	
	variation								Term	Grade 1.	Authority-	
	dependent								Contract	Deputation or	Chairman;	
	on								Communic	Short Term	Cimilinai,	
	workload)									Contract:	2. One Full-	
											time	
										Group A	Member,	
										Officers from	National	
										All India or	Financial	
										Central Civil	Reporting	
										Services who	Authority -	
										has	Member;	
										completed		
										minimum	3. Joint	
										eighteen	Secretary	
										years' service:	(National	
											Financial	
										(i) with eight	Reporting	
										years of	Authority or	
										service in the	Ministry of	
										grade rendered	Corporate	
										after	Affairs)-	
										appointment	Member;	
										thereto on	4 6	
										regular basis	4. One	
										in Level 12	External	
										(Rs. 78800-	Expert to be	

					209200) in the	nominated	
					pay matrix; or	by National	
					pay madia, of	Financial	
					(::):		
					(ii) with six	Reporting	
					years of	Authority-	
					service in the	Member.	
					grade rendered		
					after		
					appointment		
					thereto on		
					regular basis		
					in Level 13		
					(Rs. 123100-		
					215900) in the		
					pay matrix;		
					and		
					and		
					minimum air		
					minimum six		
					years post-		
					qualification		
					experience in		
					the fields of		
					law,		
					investigation,		
					Finance,		
					Economics,		
					Accountancy,		
					Auditing,		
					Administration		
					OR		
					OK		
					Officers from		
					Reserve Bank		
					of India,		
					Banks,		
					Financial		
					Institutions,		
					regulatory		
					bodies,		
					statutory		
					bodies, Public		
					Sector		
					Undertakings		
					and other		
]]			and Uniti		

				Government	
				institutions	
				with not less	
				than twenty	
				years of	
				experience in	
				cxperience in	
				the officer	
				cadre, of	
				which,	
				minimum	
				fifteen years	
				nost	
				post-	
				qualification	
				experience in	
				the fields of	
				law,	
				investigation,	
				mvesugadon,	
				Finance,	
				Economics,	
				Accountancy,	
				Auditing,	
				Administration	
				Aummsuation	
				AND	
				Possessing the	
				following	
				Tollowing	
				educational	
				qualification:	
				Essential:	
				Master of	
				Business	
				Administration	
				or equivalent	
				with	
				specialization	
				in Finance or	
				m rmance of	
				Chartered	
				Accountant or	
				Chartered	
				Financial	
				Analyst on	
				Analyst or	
				Post	
				graduation in	

						Economics,	
						Finance or any	
						other	
						oulei	
						discipline,	
						from a	
						recognised	
						University or	
						Institution.	
						mstitution.	
						B . 11	
						Desirable:	
						Degree in Law	
						from	
			1			recognised	
						university.	
			1			university.	
						Promotion:	
	1		1				
			1			Note: Where	
						juniors who	
						have	
						completed	
						Completed	
						their	
						qualifying or	
						eligibility	
						service are	
						being	
						considered for	
						promotion,	
			1			their seniors	
			1			would also be	
			1			considered	
						provided they	
						are not short	
			1			of the requisite	
			1			qualifying or	
			1			quantying of	
						eligibility	
						service by	
						more than half	
						of such	
						qualifying or	
						quantying of	
			1			eligibility	
						service or two	
			1			year,	
			1			whichever is	
L	l	l	i				1

				less, and have	
				successfully	
				completed	
				their probation	
				period for	
				promotion to	
				the next higher	
				grade along	
				with their	
				juniors who	
				have already	
				completed	
				such	
				qualifying or	
				eligibility	
				service.	
				Deputation:	
				Note:	
				Departmental	
				officers in the	
				feeder	
				category who	
				are in the	
				direct line of	
				promotion will	
				not be eligible	
				for	
				consideration	
				for	
				appointment	
				on deputation.	
				Similarly,	
				deputationists	
				shall not be	
				eligible for	
				consideration	
				for	
				appointment	
				by promotion.	
				(Period of	
				deputation	
				исриганон	

						including	
						period of	
						deputation in	
						another ex-	
						cadre post held	
						immediately	
						preceding this	
						appointment in	
						the same or	
						some other	
						organization	
						or department	
						of the Central	
						Government,	
						shall	
						ordinarily not	
						exceed three	
						years. It may	
						be extendable	
						for another	
						two years and	
						the maximum	
						period of	
						deputation	
						exceed five	
						year.	
						The maximum	
						age-limit for	
						appointment	
						by deputation	
						or contract	
						shall be not	
						exceeding fifty	
						six years as on	
						the closing	
						date of receipt	
						of	
						applications).	
i	l	L	l .	l			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. Chief	04	Not	Grade F	Selection	Not	Not	Not	Not	Promotion,	Promotion:	1.	Not applicable
General		applicable			applicable	applicable	applicable	applicable	failing	Minimum	Chairperson,	11
Manager	*(2019)	**	Rs. 101900-		**	**	**	**	which by	three years of	National	
(CGM)	* (Subject		3000(4)-						deputation	service in	Financial	
	to		113900(5)						or Short	Grade E.	Reporting	
	variation								Term		Authority-	
	dependent								Contract	Deputation or	Chairman;	
	on									Short Term		
	workload)									Contract:	2. One Full-	
											time	
										Group A	Member,	
										Officers from	National	
										All India or	Financial	
										Central Civil	Reporting	
										Services:	Authority-	
											Member;	
										(i) with five		
										years of	3. Joint	
										regular service	Secretary	
										in the grade	(National	
										rendered after	Financial	
										appointment	Reporting	
										thereto on	Authority or Ministry of	
										regular basis in Level 12	Corporate	
										(Rs. 78800-	Affairs)-	
										209200) in the	Member;	
										pay matrix; or	Wichioci,	
										pay maurx, or	4. One	
										(ii) with ten	External	
										years of	Expert to be	
										regular service	nominated	
										in the grade	by National	
										rendered after	Financial	
										appointment	Reporting	
										thereto on	Authority-	
										regular basis	Member.	
										in Level 11		
										(Rs. 67700-		
										208700) in the		
										pay matrix;		
										and		
										minimum five		

I		I			**************************************	ı	
					years post-		
					qualification		
					experience in		
					the fields of		
					law,		
					iaw,		
					investigation,		
					Finance,		
					Economics,		
					Accountancy,		
					Auditing,		
					Administration		
					Administration		
					OR		
					Officers From		
					Reserve Bank		
					of India,		
					Banks,		
					Financial		
					Institutions,		
					msututions,		
					regulatory		
					bodies,		
					statutory		
					bodies, Public		
					Sector Sector		
					Sector		
					Undertakings		
					and other		
					Government		
					institutions		
					with not less		
					with flot less		
					than fourteen		
					years of		
					experience in		
					the officer		
					cadre, of		
					cault, OI		
					which,		
					minimum		
					seven years		
					post-		
					qualification		
					qualification .		
					experience in		
					the fields of		
					law,		
					investigation,		
					Einenee		
					Finance,		

	1		I	1		ı	1	г .		
1				1				Economics,		1
								Accountancy,		
								Auditing,		
								Administration		
								Administration		
								AND		
								D : 4		
								Possessing the		
								following		
								educational		
								qualification:		
								quantication.		
								Essential:		1
								Master of		1
								Business		1
1				1				Dusiness		
1				1				Administration		
								or equivalent		1
								with		
								specialization		
								specialization		
								in Finance or		
								Chartered		
								Accountant or		
								Chartered		
								Financial		
								Analyst or		
								Post		
								graduation in		
								graduation in		
1				1				Economics,		
								Finance or any		1
1				1				other		
1				1				discipline,]
1				1				discipilite,		
1				1				from a]
1				1				recognised]
1				1				University or]
								Institution.		
								msutution.		1
1				1						
								Desirable:		1
1				1				Degree in Law		
1				1				from		
								110111		1
								recognised		1
1				1				university.		
1				1				·]
1				1				Promotion:		
1				1				Note: Where		
	1			1		ı .		<u>I</u>	ı	

					juniors who	
					have	
					completed	
					their	
					qualifying or	
					eligibility	
					service are	
					being	
					considered for	
					promotion,	
					promotion,	
					their seniors	
					would also be	
					considered	
					provided they	
					are not short	
					of the requisite	
					qualifying or	
					eligibility	
					service by	
					service by	
					more than half	
					of such	
					qualifying or	
					eligibility	
					service or two	
					year,	
					whichever is	
					less, and have	
					successfully	
					completed	
					their probation	
					period for	
					promotion to	
					the next higher	
					grade along	
					with their	
					juniors who	
					have already	
					completed	
					such	
					qualifying or	
					eligibility	
					service.	
 l	l	l			551.155.	

				Deputation:	
				Note:	
				Departmental	
				officers in the	
				feeder	
				category who	
				are in the	
				direct line of	
				promotion will	
				not be eligible	
				for	
				consideration	
				for	
				appointment	
				on deputation.	
				Similarly,	
				deputationists	
				shall not be	
				eligible for	
				consideration	
				for	
				appointment	
				by promotion.	
				(Period of	
				deputation	
				including	
				period of	
				deputation in	
				another ex-	
				cadre post held	
				immediately	
				preceding this	
				appointment in	
				the same or	
				some other	
				organization	
				or department	
				of the Central	
				Government,	
				shall	
				ordinarily not	

					exceed three	
					years. It may	
					be extendable	
					for another	
					two years and	
					the maximum	
					period of	
					deputation	
					shall not	
					exceed five	
					years.	
					The maximum	
					age-limit for	
					appointment	
					by deputation	
					or contract	
					shall be not	
					exceeding fifty	
					six years as on	
					the closing	
					date of receipt	
					of	
					applications)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	04	Not	Grade E	Selection	Not	Not	Not	Not	Promotion,	Promotion:	1.	Not applicable
General		applicable			applicable	applicable	applicable	applicable	failing	Minimum	Chairperson,	
Manager	*(2019).		Rs. 72800-						which by	three years of	National	
(GM)	* (Subject		2250 (1)-						deputation	service in	Financial	
	to		75050-2400						or Short	Grade D.	Reporting	
	variation		(2)- 79850-						Term		Authority-	
	dependent		2500 (3)-						Contract	Deputation or	Chairman;	
	on		87350-3000							Short Term		
	workload)		(5)- 102350							Contract:	2. One Full-	
			(12)								time	
										Group A	Member,	
										Officers from	National	
										All India or	Financial	
										Central Civil	Reporting	
										Services:	Authority-	
											Member;	

								(i) with five		
									2	
								years of	3. Joint	
								regular service	Secretary	
								in the grade	(National	
								rendered after	Financial	
								appointment	Reporting	
								thereto on	Authority or	
								regular basis	Ministry of	
								in Level 12	Corporate	
								(Rs. 78800-	Affairs)-	
								209200) in the	Member;	
								pay matrix; or		
1	1			1					4. One	
1	1			1				(ii) with ten	External	
1	1			1					Expert to be	
1	1			1				regular service	nominated	
								in the grade	by National	
1	1			1				rendered after	Financial	
								appointment	Reporting	
								thereto on	Authority-	
								regular basis	Member.	
								in Level 11		
								(Rs. 67700-		
								208700) in the		
								pay matrix;		
								and		
								minimum five		
								years post-		
	1			1				qualification		
	1			1				quantication		
	1			1				experience in		
	1			1				the fields of		
	1			1				law,		
	1			1				investigation,		
								Finance,		
	1			1				Economics,		
	1			1						
	1			1				Accountancy,		
	1			1				Auditing,		
	1			1				Administration		
	1			1				OR		
								OK		
	1			1				Officers From		
								Reserve Bank		
	1			1				of India,		
L	I	I	l	I .	l			or mora,		

					Banks,	
					Dunks,	
					Financial	
					Institutions,	
					magulatomy.	
					regulatory	
					bodies,	
					statutory	
					statutory	
					bodies, Public	
					Sector	
					Undertakings	
					Olidertakings	
					and other	
					Government	
					institutions	
					with not less	
					than fourteen	
					years of	
					experience in	
					the officer	
					uic Officei	
					cadre or	
					management	
					1 f	
					grade, of	
					which,	
					minimum	
					seven years	
					post-	
					qualification	
					quantication	
					experience in	
					the fields of	
					1	
					law,	
					investigation,	
					Finance,	
					Economics,	
					Accountancy,	
					Auditing,	
					1 idditing,	
					Administration	
					AND	
					AND	
					Possessing the	
					fallarving	
					following	
					educational	
1					qualification:	
					quanneauon.	
					Essential:	
1						
					Business	
-						

·						
					Administration	
					or equivalent	
					with	
					specialization	
					in Finance or	
					Chartered	
					Accountant or	
					Chartered	
					Financial	
					Analyst or	
					Post	
					graduation in	
					Economics,	
					Einence or env	
					Finance or any	
					other	
					discipline,	
					from a	
					recognised	
					University or	
					Institution.	
					mstitution.	
					Desirable:	
					Degree in Law	
					from	
					recognised	
					university.	
					um versity.	
					Promotion:	
					Note: Where	
					juniors who	
					have	
					completed	
					their	
					qualifying or	
					eligibility	
					service are	
					being	
					considered for	
					promotion,	
					their seniors	
					would also be	
					considered	
					provided they	
					are not short	

of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year. whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed soch qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Deputation: Note: Deportmental officers in the feeder category who are in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or cligibility service or two year. whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Deputation: Note: Departmental officers in the fooder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						of the requisite	
eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the freder cutegory who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
service by more than half of such qualifying or eligibility service or two your, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
more than half of such qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						service by	
of such qualifying or cligibility scrvice or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility scrvice. Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be cligible for consideration for							
qualifying or eligibility service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
eligibility service or two year; whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or cligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						qualifying or	
service or two year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or cligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						eligibility	
year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Depatmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for consideration for							
less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration f						ycar,	
successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						less, and have	
completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be cligible for consideration for conside						successfully	
their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						completed	
period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for consideration for							
promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						meir probation	
the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						period for	
the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						promotion to	
grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						the next higher	
with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						grada alang	
juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						grade along	
have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						juniors who	
completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
such qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
qualifying or eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
eligibility service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						qualifying or	
service. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						eligibility	
Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						service	
Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						service.	
Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						Note:	
officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						officers in the	
category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for							
are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for						category who	
direct line of promotion will not be eligible for consideration for						are in the	
promotion will not be eligible for consideration for							
not be eligible for consideration for							
for consideration for							
for consideration for						not be eligible	
consideration for						for	
for							
appointment			 	 	 	appointment	

				on deputation.	
				Similarly,	
				deputationists	
				shall not be	
				shall not be	
				eligible for	
				consideration	
				for	
				appointment	
				by promotion.	
				(Period of	
				deputation	
				including	
				period of	
				deputation in	
				on other av	
				another ex-	
				cadre post held	
				immediately	
				preceding this	
				appointment in	
				the same or	
				some other	
				organization	
				or department	
				of the Central	
				Government,	
				shall	
				ordinarily not	
				exceed three	
				years. It may	
				be extendable	
				for another	
				two years and	
				the maximum	
				period of	
				deputation	
				shall not	
				exceed five	
				year.	
				The maximum	
				age-limit for	
				appointment	
				by deputation	

					ou controct	
					or contract	
					shall be not	
					exceeding fifty	
					six years as on	
					the closing	
					date of receipt	
					of	
					applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5. Deputy	05	Not	Grade D	Selection.	Not	Not applicable.	Not	Not	Promotion,	Promotion:	1.	Not
General		applicable.			applicable.	- ver appearance.	applicable.	applicable.	failing	Minimum three	Chairperson,	applicable.
Manager	*(2019).	Tr	Rs. 68500-		T.F.		Tr.		which by	years of service	National	Tr
(DGM).	* (Subject		2150 (2)-						deputation	in Grade C.	Financial	
	to		72800-						or Short		Reporting	
	variation		2250(6)-						Term	Deputation or	Authority-	
	dependent		86300 (9).						Contract.	Short Term	Chairman;	
	on		, ,							Contract:		
	workload).										2. One Full-	
										Group A	time	
										Officers from	Member,	
										All India or	National	
										Central Civil	Financial	
										Services:	Reporting	
											Authority-	
										(i) in the grade	Member;	
										rendered after		
										appointment	3. Deputy	
										thereto on	Secretary or	
										regular basis in	Director	
										Level 12 (Rs.	(National	
										78800-209200)	Financial	
										in the pay	Reporting	
										matrix; or	Authority or	
											Ministry of	
										(ii) with five	Corporate	
										years of regular	Affairs)-	
										service in the	Member;	
										grade rendered	4 0	
										after	4. One	
										appointment	External	
										thereto on	Expert to be	

				1	regular basis in	nominated	
					Level 11 (D	hommateu	
					Level 11 (Rs.	by National	
					67700-208700)	Financial	
					in the pay	Reporting	
					matrix; or	Authority-	
						Member.	
					(iii) with nine		
					years of regular		
					service in the		
					scrvice in the		
					grade rendered		
					after		
					appointment		
					thereto on		
					regular basis in		
					Level 10 (Rs.		
					56100-177500)		
					in the pay		
					matrix; and		
					maurx, and		
					minimum three		
					years post-		
					qualification		
					experience in		
					the fields of		
					law,		
					investigation,		
					Information		
					Technology,		
					Finance,		
					Economics,		
					Accountancy,		
					Auditing,		
					Administration;		
					OR		
					Officers from		
					Reserve Bank		
					of India,		
					Banks,		
					Financial		
					Institutions,		
					regulatory		
					bodies,		
					statutory		

		bodies, Public	
		Sector	
		Sector	
		Undertakings	
		and other	
		Government	
		institutions	
		with not less	
		than ten years	
		of experience	
		in the officer	
		cadre or	
		Management	
		ivianagement	
		grade, of	
		which,	
		minimum five	
		years post-	
		qualification	
		experience in	
		experience in	
		the fields of	
		law,	
		investigation,	
		Information	
		Technology,	
		Finance,	
		Economics,	
		Accountancy,	
		Auditing,	
		Administration.	
		Administration.	
		AND	
		Possessing the	
		following	
		educational	
		qualification:	
		Essential:	
		Chartered	
		Accountant or	
		Accountant of	
		Master of	
		Business	
		Administration	
		with	
		specialization	
		specialization	
		in Finance or	

						Accounting or	
						Chartered	
						Financial	
						Analysis or	
						Allarysis of	
						Post graduation	
						in Commerce,	
						Economics,	
						Finance or any	
						other	
						discipline, from	
						a recognized	
						University or	
						Institution.	
						Desirable:	
						Degree in Law	
						from a	
						recognized	
						university.	
						university.	
						D	
						Promotion:	
						Note: Where	
						juniors who	
						have completed	
						their qualifying	
						or eligibility	
						service are	
						being	
						ocnig	
						considered for	
						promotion,	
						their seniors	
						would also be	
						considered	
						provided they	
						are not short of	
						the requisite	
						qualifying or	
						eligibility	
						service by	
						more than half	
						of such	
						qualifying or	
1	1					eligibility	

					service or two	
					year,	
					whichever is	
					less, and have	
					successfully	
					completed their	
					probation	
					period for	
					promotion to	
					the next higher	
					grade along	
					with their	
					juniors who	
					have already	
					completed such	
					qualifying or	
					eligibility	
					service.	
					Deputation:	
					Note:	
					Departmental	
					officers in the	
					feeder category	
					who are in the	
					direct line of	
					promotion will	
					not be eligible	
					for	
					consideration	
					for	
					appointment on	
					deputation.	
					Similarly,	
					deputationists	
					shall not be	
					eligible for	
					consideration	
					for	
					appointment by	
					promotion.	
					(Period of	

					deputation	
					including	
					period of	
					deputation in	
					another ex-	
					cadre post held	
					immediately	
					preceding this	
					appointment in	
					the same or	
					some other	
					organization or	
					department of	
					the Central	
					Government,	
					shall ordinarily	
					not exceed	
					three years. It	
					may be	
					extendable for	
					another two	
					years and the	
					maximum	
					deputation	
					shall not	
					exceed five	
					year.	
					The maximum	
					age-limit for	
					appointment by	
					deputation or	
					contract shall	
					be not	
					exceeding fifty	
					six years as on	
					the closing date	
					of receipt of	
					applications).	
					арри си поно).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	08	Not	Grade C	Selection	Not	Not applicable	Not	Not	Promotion,	Promotion:	1.	Not
Assistant		applicable			applicable		applicable	applicable	failing	Minimum three	Chairperson,	applicable
General	*(2019).		Rs. 49000-						which by	years of service	National	
Manager	* (Subject		1750 (3)-						deputation	in Grade B.	Financial	
(AGM)	to		54250-						or Short		Reporting	
	variation		1900 (2)-						Term	Deputation or	Authority-	
	dependent		58050-						Contract	Short Term	Chairman;	
	on		2000 (4)-							Contract:		
	workload)		66050-								2. One Full-	
			EB-							Group A	time	
			2000(2)-							Officers from	Member,	
			70050-							All India or	National	
			2150(1) -							Central Civil	Financial	
			72200							Services:	Reporting	
			(13).								Authority-	
										(i) with three	Member;	
										years of regular		
										service in the	3. Deputy	
										grade rendered	Secretary or	
										after	Director	
										appointment	(National	
										thereto on	Financial	
										regular basis in	Reporting	
										Level 11 (Rs.	Authority or	
										67700-208700)	Ministry of	
										in the pay	Corporate	
										matrix; or	Affairs)-	
											Member;	
										(ii) with seven		
										years of regular	4. One	
										service in the	External	
										grade rendered	Expert to be	
										after	nominated	
										appointment	by National	
										thereto on	Financial	
										regular basis in	Reporting	
										Level 10 (Rs.	Authority-	
										56100-177500)	Member.	
										in the pay		
										matrix; and		
										minimum three		
										years post-		
										qualification		

	T				
				experience in	
				the fields of	
				law,	
				investigation,	
				Information	
				Technology,	
				Technology,	
				Finance,	
				Economics,	
				Accountancy,	
				Auditing,	
				Administration;	
				7 tanimistration,	
				OD	
				OR	
				Officers from	
				Reserve Bank	
				of India,	
				Banks,	
				Financial	
				Institutions,	
				regulatory	
				bodies,	
				statutory	
				bodies, Public	
				Sector	
				Undowtokings	
				Undertakings	
				and other	
				Government	
				institutions	
				with not less	
				than ten years	
				of experience	
				in the officer	
				Management	
				Grade, of	
				which,	
				minimum five	
				years post-	
				qualification	
				experience in	
				the fields of	
				the fields of	
				law,	
				investigation,	
				Information	

Taskaslasy
Technology,
Finance,
Economics,
Accountancy,
Accountancy,
Auditing,
Administration.
AND
Possessing the
c ii ·
following
educational
qualification:
quantitation.
_
Essential:
Chartered
Accountant or
Accountable of
Master of
Business
Administration
with
specialization
in Finance or
Accounting or
Chartered
Financial
Analysis or
Allarysis of
Post graduation
in Commerce,
Economics,
Electronics,
Finance or any
other
discipline, from
a recognized
a iccognized
University or
Institution.
Daring bloom
Desirable:
Degree in Law
from a
recognized
recognized
university.
Promotion:
Note: Where

		juniors who	
		have completed	
		their qualifying	
		or eligibility	
		service are	
		being	
		considered for	
		promotion,	
		promotion,	
		their seniors	
		would also be	
		considered	
		provided they	
		are not short of	
		the requisite	
		qualifying or	
		quantying of	
		eligibility	
		service by	
		more than half	
		of such	
		qualifying or	
		eligibility	
		service or two	
		year,	
		whichever is	
		less, and have	
		successfully	
		completed their	
		probation	
		period for	
		promotion to	
		the next higher	
		grade along	
		with their	
		juniors who	
		have already	
		completed such	
		qualifying or	
		eligibility	
		service.	
		service.	
		Deputation:	
		Note:	

					Departmental	
					officers in the	
					feeder category	
					who are in the	
					direct line of	
					promotion will	
					not be eligible	
					for	
					consideration	
					for	
					appointment on	
					deputation.	
					Similarly,	
					deputationists	
					shall not be	
					eligible for	
					consideration	
					for	
					appointment by	
					promotion.	
					(Period of	
					deputation	
					including	
					period of	
					deputation in	
					another ex-	
					cadre post held	
					immediately	
					preceding this	
					appointment in	
					the same or	
					some other	
					organization or	
					department of	
					the Central	
					Government,	
					shall ordinarily	
					not exceed	
					three years. It	
					may be	
					extendable for	
					another two	

							years and the		
							maximum		
							period of		
							deputation		
							shall not		
							exceed five		
							year.		
							The maximum		
							age-limit for		
							appointment by		
							deputation or		
							contract shall		
							be not		
							exceeding fifty		
							six years as on		
							the closing date		
							of receipt of		
							applications).		
							11		
 L	L	l	L	l		l		l	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	13	Not	Grade B	Selection	Between	Chartered	Not	Two years	(a) Direct	Promotion:	1.	Not
Manager		applicable			twenty	Accountant or	applicable	in case of	Recruitment:		Chairperson,	applicable
	*(2019).		Rs.35150-		one and	Master of		direct	Forty	Minimum three	National	
	* (Subject		1750(9)-		thirty	Business		recruitment	percent	years of service	Financial	
	to		50900-		years	Administration			(Through	in Grade- A	Reporting	
	variation		EB-			with			written exam		Authority-	
	dependent		1750(2)-			specialization			followed by	Deputation:	Chairman;	
	on		54400-			in Finance or			personal			
	workload)		2000(4)-			Accounting or			interview).	Deputation or	2. One Full-	
			62400			Chartered				Short Term	time	
			(16)			Financial			(b)	Contract:	Member,	
						Analysis or			Promotion		National	
						Law or Post-			failing	An officer of	Financial	
						Graduation in			which by	Central	Reporting	
						Commerce,			direct	Government or	Authority-	
						Economics,			recruitment:	State	Member;	
						Finance or any			Thirty	Governments		
						other			percent,	or Union	3. Deputy	
						discipline,				territories or	Secretary or	
						from a			(c)	Public Sector	Director	
						recognized			Deputation*	Undertakings	(National	

		University or	1	or Short	or autonomous	Financial	
				Term			
		Institution with			and statutory	Reporting	
		a minimum six		Contract	bodies:	Authority or	
		years of post-		basis: Thirty		Ministry of	
		qualification		percent.	(i) with regular	Corporate	
		experience in			service in the	Affairs)-	
		the fields of			grade rendered	Member;	
		law,			after	,	
		investigation,			appointment	4. One	
		Information			thereto on	External	
		Technology,			regular basis in	Expert to be	
		Finance,			Level 10 (Rs.	nominated	
		Economics,			56100-177500)	by National	
		Accountancy,			in the pay	Financial	
		Auditing,			matrix; or	Reporting	
		Administration.				Authority-	
					(ii) with three	Member.	
					years of regular		
					service in the		
					grade rendered		
					after		
					appointment		
					thereto on		
					regular basis in		
					Level 8 (Rs.		
					47600-151100)		
					in the pay		
					matrix; and		
					maira, and		
					minimum two		
					years post-		
					qualification .		
					experience in		
					the fields of		
					law,		
					investigation,		
					Information		
					Technology,		
					Finance,		
					Economics,		
					Accountancy,		
					Auditing,		
					Administration.		
					OR		

ı		ı	ı			
					Officers from	
					Reserve Bank	
					of India,	
					Banks,	
					Financial	
					Institutions,	
					regulatory	
					bodies,	
					statutory	
					bodies, Public	
					Sector	
					Undertakings	
					and other	
					government	
					institutions	
					with not less	
					than six years	
					of experience	
					of experience	
					in the officer	
					cadre or Junior	
					Management	
					grade, of	
					which,	
					willen,	
					minimum three	
					years post-	
					qualification	
					experience in	
					the fields of	
					law,	
					investigation,	
					Information,	
					Technology,	
					Finance,	
					Economics,	
					Accountancy,	
					Auditing,	
					Administration.	
					AND	
					AND	
					Possessing the	
					following	
					educational	
					qualification:	

			Chartered
			Accountant or
			Master of
			Business
			Administration
			with
			specialization
			in Finance or
			Accounting or
			Chartered
			Financial
			Analysis or
			Law or Post-
			Graduation in
			Commerce,
			Economics,
			Finance or any
			other
			discipline, from
			a recognized
			University or
			Institution.
			Promotion:
			Note: Where
			juniors who
			have completed
			their qualifying
			or eligibility
			service are
			being
			considered for
			promotion,
			their seniors
			would also be
			considered
			provided they
			are not short of
			the requisite
			qualifying or
			eligibility

					service by	
					more than half	
					of such	
					qualifying or	
					eligibility	
					service or two	
					year,	
					whichever is	
					less, and have	
					successfully	
					completed their	
					probation	
					period for	
					promotion to	
					the next higher	
					grade along	
					with their	
					juniors who	
					have already	
					completed such	
					qualifying or	
					eligibility	
					service.	
					Deputation:	
					Note:	
					Departmental	
					officers in the	
					feeder category	
					who are in the	
					direct line of	
					promotion will	
					not be eligible	
					for	
					consideration	
					for appointment	
					on deputation.	
					Similarly,	
					deputationists	
					shall not be	
					eligible for	
					consideration	
					for appointment	

				by promotion.	
				(Period of	
				deputation	
				including	
				period of	
				deputation in	
				another ex-	
				cadre post held	
				immediately	
				immediately	
				preceding this	
				appointment in	
				the same or	
				some other	
				organization or	
				department of	
				the Central	
				Government,	
				shall ordinarily	
				not exceed	
				three years. It	
				may be	
				extendable for	
				another two	
				years and the	
				maximum	
				period of	
				deputation shall	
				not exceed five	
				year.	
				The maximum	
				age-limit for	
				appointment by	
				deputation or	
				contract shall	
				be not	
				exceeding fifty	
				six years as on	
				the closing date	
				of receipt of	
				applications).	
				applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	13	Not	Grade A	Selection	Between	Chartered	Not	Two years	(a) Direct	Deputation or	1.	Not
Assistant		applicable			twenty	Accountant or	applicable.	in case of	Recruitment:	Short Term	Chairperson,	applicable
Manager	*(2019)		Rs. 28150-		one and	Master of		direct	Sixty	Contract:	National	
	* (Subject		1550(4)-		thirty	Business		recruitment.	percent.		Financial	
	to		34350-		years.	Administration				An officer of	Reporting	
	variation		1750(7)-			with			(Through	Central	Authority-	
	dependent		46600-			specialization			written exam	Government or	Chairman;	
	on		EB-1750			in Finance or			followed by	State		
	workload).		(4)-			Accounting or			personal	Governments,	2. One Full-	
			53600-			Chartered			interview).	or Union	time	
			2000(1)-			Financial				territories or	Member,	
			55600.			Analysis or			(b)	Public Sector	National	
						Law or			Deputation	Undertakings	Financial	
						Graduation in			or Short	or autonomous	Reporting	
						Commerce,			Term	and statutory	Authority-	
						Economics,			Contract	bodies:	Member;	
						Finance,			basis failing			
						Bachelor of			which by	(i) with regular	3. Deputy	
						Technology in			direct	service in the	Secretary or	
						Computer			recruitment:	grade rendered	Director	
						Science or			Forty	after	(National	
						Engineering or			percent.	appointment	Financial	
						Master in				thereto on		
						Computer				regular basis in	Authority or	
						Application or				Level 8 (Rs. 47600-151100)	Ministry of Corporate	
						any other discipline,				,	Affairs)-	
						from a				in the pay matrix; or	Member;	
						recognised				maurx, or	Member,	
						University or				(ii) with two	4. One	
						Institution with				years of regular	External	
						a minimum of				service in the	Expert to be	
						two years of				grade rendered	nominated	
						post-				after	by National	
						qualification				appointment	Financial	
						experience in				thereto on	Reporting	
						accounting or				regular basis in	Authority-	
						auditing or law				Level 7 (Rs.	Member.	
						or bank.				44900-142400)		
										in the pay		
										matrix; and		

					minimum two	
					years post-	
					qualification	
					experience in	
					the fields of	
					law,	
					investigation,	
					Information	
					Technology,	
					Finance,	
					Economics,	
					Accountancy,	
					Accountancy,	
					Auditing,	
					Administration.	
					OR	
					Officers from	
					Reserve Bank	
					of India,	
					Banks,	
					Financial	
					Institutions,	
					regulatory	
					bodies,	
					statutory	
					bodies, Public	
					Sector Sector	
					Undertakings	
					and other	
					government	
					institutions	
					with a	
					minimum of	
					two years of	
					relevant	
					icievanii	
					experience in	
					the officer	
					cadre or Junior	
					management	
					grade.	
					AND	
					711112	
					D	
					Possessing the	

	T I			C 11 '	1	
				following		
				educational		
				qualification:		
				Chartered		
				Accountant or		
				Master of		
				Business		
				Administration		
				with		
				specialization		
				in Finance or		
				Accounting or		
				Chartered		
				Financial		
				Analysis or		
				Law or		
				Graduation in		
				Commerce,		
				Economics,		
				Finance,		
				Paralage,		
				Bachelor of		
				Technology in		
				Computer		
				Science or		
				Engineering or		
				Master in		
				Computer		
				Application or		
				any other		
				discipline, from		
				a recognised		
				I Iniversity		
				University or		
				Institution.		
				Deputation:		
				Note:		
				Departmental		
				officers in the		
				feeder category		
				who are in the		
				direct line of		
				promotion will		

					not be eligible	
					for	
					consideration	
					for	
					appointment on	
					deputation.	
					Similarly,	
					deputationists	
					shall not be	
					eligible for	
					consideration	
					for	
					appointment by	
					promotion.	
					(Period of	
					deputation	
					including	
					period of	
					deputation in	
					another ex-	
					cadre post held	
					immediately	
					preceding this	
					appointment in	
					the same or	
					some other	
					organization or	
					department of	
					the Central	
					Government,	
					shall ordinarily	
					not exceed	
					three years. It	
					may be	
					extendable for	
					another two	
					years and the	
					maximum	
					period of	
					deputation	
					shall not	
					exceed five	
I .					CACCCU 11VC	

					year. The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of	
					of receipt of applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	4	Not	Grade III	Selection.	Not	Not applicable.	Not	Not	By	Deputation	1. Secretary,	Not
Personal		applicable.			applicable.		applicable.	applicable.	Deputation	(including	National	applicable.
or	*(2019).		Rs.20650-						or Short	short-term	Financial	
General	* (Subject		1150(3)-						Term	contract):	Reporting	
Assistant.	to		24100-						Contract.		Authority-	
	variation		1225(1)-							An officer of	Chairman;	
	dependent		25325-							Central		
	on		1325(3)-							Government or	2. Deputy	
	workload).		29300-							State	Secretary or	
			1475(6)-							Governments	Director	
			38150-							or Union	(National	
			1525(2)-							territories or	Financial	
			41200-							Public Sector	Reporting	
			1740(2)-							Undertakings	Authority or	
			44680-							or autonomous	Ministry of	
			1875(1).							and statutory	Corporate	
										bodies:	Affairs-	
											Member;	
										(i) holding		
										analogous post	3. Executive	
										on regular basis	Director,	
										in the parent	National	
										cadre or	Financial	
										department; or	Reporting	
											Authority-	
										(ii) with a	Member.	
										minimum of		
										six years of		

							regular service,	
							in the grade	
							iii tile grade	
							rendered after	
							appointment	
							thereto on	
							regular basis in	
							Level 6 (Rs.	
							35400-112400)	
							in the pay	
							matrix or	
							equivalent.	
							1	
							ANID	
1							AND	
1							Possessing the	
1							following	
1							following	
							educational	
1							qualification:	
							*	
							E 4: 1	
							Essential:	
							Graduate	
							degree from a	
							recognized	
							recognized	
							university or	
							equivalent.	
							Desirable:	
							(i) working	
1							experience in	
1							dealing with	
1							Regulatory	
1							A 41 it	
							Authority or	
							Statutory	
1							Bodies or	
1							Other	
1								
1							Government	
1							Institutions;	
1								
							(ii) working	
1							(II) WOLKING	
1							knowledge of	
1							computer;	
1							•	
1							(iii) skill in	
							stenography	
							and typing.	
	1	l	l	l .	<u> </u>		and thing.	l

		Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion wil not be eligible for consideration for appointment or deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration	
		for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same of	
		some other organization of department of the Central Government, shall ordinarily not exceed	

-					
				three years. It	
				may be	
				extendable for	
				another two	
				years and the	
				maximum	
				period of	
				deputation	
				shall not	
				exceed five	
				year.	
				The maximum	
				age-limit for	
				appointment by	
				deputation or	
				contract shall	
				be not	
				exceeding fifty	
				six years as on	
				the closing date	
				of receipt of	
				on receipt of	
				applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	03	Not	Grade II	Selection.	Not	Not applicable.	Not	Not	By	Deputation	1. Secretary,	Not
Personal		applicable.			applicable.		applicable.	applicable.	Deputation	(including	National	applicable.
or	*(2019).		Rs.13150-						or Short	short-term	Financial	
General	* (Subject		750(3)-						Term	contract):	Reporting	
Assistant.	to		15400-						Contract.		Authority-	
	variation		900(4)-							An officer of	Chairman;	
	dependent		19000-							Central		
	on		1200(6)-							Government or	2. Deputy	
	workload).		26200-							State	Secretary or	
			1300(2)-							Governments	Director	
			28800-							or Union	(National	
			1480(3)-							territories or	Financial	
			33240-							Public Sector	Reporting	
			1750(1)-							Undertakings	Authority or	
			34990.							or autonomous	Ministry of	
										and statutory	Corporate	
										bodies:	Affairs)-	

						Member;	
					(i) holding		
					analogous post	3. Executive	
					on regular basis	Director,	
					in the parent	National	
					iii uie paieiii	Financial	
					cadre or		
					department; or	Reporting	
						Authority-	
					(ii) with a	Member.	
					minimum of		
					four years of		
					regular service,		
					in the grade		
					rendered after		
					appointment		
					thereto on		
					regular basis in		
					Level 5		
					(Rs.29200-		
					92300) in the		
					pay matrix or		
					equivalent.		
					AND		
					Possessing the		
					following		
					educational		
					qualification:		
					1		
					Essential:		
					Graduate		
					degree from a		
					recognized		
					university or		
					equivalent.		
					Desirable:		
					(i) working		
					experience in		
					dealing with		
					Regulatory		
					Authority or		
					Statutory		
					Bodies or		
			I		Donies of		

-					
				Other	
				Government	
				Institutions;	
				mstrutions,	
				(ii) working	
				(ii) working	
				knowledge of	
				computer;	
				200 L 101 L	
				(iii) skill in	
				stenography	
				and typing.	
				Deputation:	
				Note:	
				Departmental	
				officers in the	
				feeder category	
				who are in the	
				direct line of	
				promotion will	
				not be eligible	
				for	
				consideration	
				for	
				appointment on	
				deputation.	
				Similarly,	
				deputationists	
				shall not be	
				shan not or	
				eligible for	
				consideration	
				for	
				appointment by	
				promotion.	
				(Period of	
				deputation	
				including	
				period of	
				deputation in	
				cadre post held	
				immediately	
				preceding this	

			appointment in	
			the same or	
			some other	
			organization or	
			department of	
			the Central	
			Government,	
			shall ordinarily	
			not exceed	
			three years. It	
			may be	
			extendable for	
			another two	
			years and the	
			maximum	
			period of	
			deputation	
			shall not	
			exceed five	
			year.	
			The maximum	
			age-limit for	
			appointment by	
			deputation or	
			contract shall	
			be not	
			exceeding fifty	
			six years as on	
			the closing date	
			of receipt of	
			applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11.	03	Not	Grade I	Selection.	Not	Not applicable.	Not	Not	Ву	Deputation	1. Secretary,	Not
Personal		applicable.			applicable.		applicable.	applicable.	Deputation	(including	National	applicable.
or	*(2019).		Rs.10940-						or Short	short-term	Financial	
General	* (Subject		380(4)-						Term	contract):	Reporting	
Assistant.	to		12460-						Contract.		Authority-	
	variation		440(3)-							An officer of	Chairman;	
	dependent		13780-							Central		
	on		520(3)-							Government or	2. Deputy	

<u></u>		 		
workload).	15340-		State	Secretary or
	690(2)-		Governments	Director
	16720-		or Union	(National
	860(4)-		territories or	Financial
	20160-		Public Sector	Reporting
	1180(3)-		Undertakings	Authority or
	23700.		or autonomous	Ministry of
	23700.		and statutory	Corporate
			bodies:	Affairs)-
			bodies:	
				Member;
			(i) holding	
			analogous post	3. Executive
			on regular basis	Director,
			in the parent	National
			cadre or	Financial
			department; or	Reporting
				Authority-
			(ii) with a	Member.
			minimum of	
			two years of	
			regular service,	
			in the grade	
			rendered after	
			appointment	
			thereto on	
			regular basis in	
			Level 3 (Rs.	
			21700-69100)	
			in the pay	
			matrix or	
			equivalent.	
			equivalent.	
			AND	
			AND	
			Possessing the	
			following	
			educational	
			qualification:	
			Essential:	
			Graduate	
			degree from a	
			recognized	
			university or	
			equivalent.	

		Desirable: (i) working experience in dealing with Regulatory Authority or Statutory Bodies or Other Government Institutions; (ii) working knowledge of computer; (iii) skill in stenography and typing. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation.	
		promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists	
		shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	

					(Period of	
					deputation	
					including	
					period of	
					deputation in	
					another ex-	
					cadre post held	
					immediately	
					preceding this	
					appointment in	
					the same or	
					some other	
					organization or	
					department of	
					the Central	
					Government,	
					shall ordinarily	
					not exceed	
					three years. It	
					may be	
					extendable for	
					another two	
					years and the	
					maximum	
					period of	
					deputation	
					exceed five	
					year.	
					The maximum	
					age-limit for	
					appointment by	
					deputation or	
					contract shall	
					be not	
					exceeding fifty	
					six years as on	
					the closing date	
					of receipt of	
					applications).	

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(0)	(0)	(10)	(11)	(12)	(12)
(1) 12. Sr.	(2)	(3) Not	(4) Level 8	(5) Selection.	(6) Not	(7) Not applicable.	(8) Not	(9) Not	(10)	(11)	(12)	(13) Not
PS.	03		(Rs.	Selection.	applicable.	Not applicable.	applicable.	applicable.	By Deputation	Deputation	 Secretary, National 	applicable.
rs.	*(2019).	applicable.	47600-		applicable.		аррисавіе.	аррисавіе.	or Short	(including		аррисавіе.
			105900).						Term	short-term contract):	Financial	
	* (Subject		103900).						Contract.	contract):	Reporting Authority-	
	to variation								Contract.	An officer of	Chairman;	
										Central	Chairman,	
	dependent on									Government or	2. Chief	
	workload).									State	General	
	workioau).									Governments	Manager or	
										or Union	General	
										territories:	Manager,	
										territories.	National	
										(i) in the grade	Financial	
										rendered after	Reporting	
										appointment	Authority-	
										thereto on	Member;	
										regular basis in	wiemoer,	
										Level 8	3. Under	
										(47600-	Secretary	
										151100) in the	(National	
										pay matrix or	Financial	
										equivalent; or	Reporting	
										1,,	Authority or	
										(ii) with a	Ministry of	
										minimum of	Corporate	
										four years of	Affairs)-	
										regular service,	Member.	
										in the grade		
										rendered after		
										appointment		
										thereto on		
										regular basis in		
										Level 7 (Rs.		
										44900-142400)		
										in the pay		
										matrix.		
										AND		
										Possessing the		
										following		
										educational		
										qualification:		

 	 	_			
				Essential:	
				Graduate	
				degree from a	
				recognized	
				university or	
				equivalent.	
				Desirable:	
				Working Working	
				experience in	
				regulatory	
				Authority or	
				Statutory	
				Bodies or	
				Other	
				Government	
				Institutions.	
				Deputation:	
				Note:	
				Departmental	
				officers in the	
				feeder category	
				who are in the	
				direct line of	
				promotion will	
				not be eligible	
				for	
				consideration	
				for	
				appointment on	
				deputation.	
				Similarly,	
				deputationists	
				shall not be	
				eligible for	
				consideration	
				for	
				appointment by	
				promotion.	
				(Period of	
				deputation	

					including	
					period of	
					deputation in	
					another ex-	
					cadre post held	
					immediately	
					preceding this	
					appointment in	
					the same or	
					some other	
					organization or	
					department of	
					the Central	
					Government,	
					shall ordinarily	
					not exceed	
					three years. It	
					may be	
					extendable for	
					another two	
					years and the	
					maximum	
					period of	
					deputation	
					deputation	
					shall not	
					exceed five	
					year.	
					The maximum	
					age-limit for	
					appointment by	
					deputation or	
					contract shall	
					be not	
					exceeding fifty	
					six years as on	
					the closing date	
					of receipt of	
					applications).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	01	Not	Level 7	Selection	Not	Not applicable	Not	Not	By	Deputation	1. Secretary,	Not
Private	*(2019).	applicable	(Rs.		applicable	**	applicable	applicable	Deputation	(including	National	applicable
Secretary	* (Subject	11	44900-		**		**	**	or Short	short-term	Financial	**
	to		99800)						Term	contract):	Reporting	
	variation								Contract		Authority-	
	dependent									An officer of	Chairman;	
	on									Central		
	workload)									Government or	2. Chief	
										State	General	
										Governments	Manager or	
										or Union	General	
										territories:	Manager,	
											National	
										(i) in the grade	Financial	
										rendered after	Reporting	
										appointment	Authority-	
										thereto on	Member;	
										regular basis in		
										Level 7 (Rs.	3. Under	
										44900-142400)	Secretary	
										in the pay	(National	
										matrix or	Financial	
										equivalent; or	Reporting	
											Authority or	
										(ii) with a	Ministry of	
										minimum of	Corporate	
										four years of	Affairs)-	
										regular service,	Member.	
										in the grade		
										rendered after		
										appointment		
										thereto on		
										regular basis in		
										Level 6		
										(Rs.35400-		
										112400) in the		
										pay matrix.		
										ANTO		
										AND		
										D		
										Possessing the		
										following		
										educational		
			1							qualification:		

		Statutory Bodies Other Government Institutions. Deputation: Note: Departmental officers in the feeder categor who are in the direct line of promotion with not be eligible for consideration for appointment of deputation. Similarly, deputationists shall not be	n or or ee y ee of III ee ee
		deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment be promotion.	ee or

				deputation	
				including	
				period of	
				deputation in	
				another ex-	
				cadre post held	
				immediately	
				preceding this	
				appointment in	
				the same or	
				some other	
				organization or	
				department of	
				the Central	
				Government,	
				shall ordinarily	
				not exceed	
				three years. It	
				may be	
				extendable for	
				another two	
				years and the	
				maximum	
				period of	
				deputation	
				shall not	
				exceed five	
				year.	
				The maximum	
				age-limit for	
				appointment by	
				deputation or	
				contract shall	
				be not	
				exceeding fifty	
				six years as on	
				the closing date	
				of receipt of	
				applications).	

	1		ı		ı	I			T	T	1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	02	Not	Level 2	Non	Not	Not applicable	Not	Two years	Deputation.	Deputation:	1. Secretary,	Not
Driver		applicable	(Rs.	selection	applicable		applicable	for re-			National	applicable
	*(2019).		19900-					employed	For Armed	From amongst	Financial	
	* (Subject		44400)						Forces	the regular	Reporting	
	to								personnel:	Group C	Authority-	
	variation								Deputation	employees in	Chairman;	
	dependent								or re-	level 2		
	on								employment.	(Rs.19900-	2. Chief	
	workload)									63200) in the	General	
										pay matrix in	Manager or	
										the Ministry of	General	
										Corporate	Manager,	
										Affairs who	National	
										possess valid	Financial	
										Driving	Reporting	
										License for	Authority-	
										Motor Cars on	Member;	
										the basis of a	2	
										Driving Test to	3. Under	
										assess the	Secretary (National	
										competence to drive Motor	Financial	
										Cars failing	Reporting	
										which from	Authority or	
										officials	Ministry of	
										holding the	Corporate	
										post of	Affairs)-	
										Dispatch Rider	Member.	
										on regular basis	Wichioci.	
										or regular		
										Group C		
										employees in		
										Level 2		
										(Rs.19900-		
										63200) in the		
										pay matrix in		
										other		
										Ministries of		
										the Central		
										Government.		
										Essential:		
										(1) Possession		
										of a valid		

						driving license	
						for motor cars;	
						(2) Knowledge	
						of motor	
						mechanism	
						(The candidate	
						should be able	
						to remove	
						minor-defects	
						in vehicle);	
						(3) Experience	
						of driving a	
						motor car for at	
						years; and	
						(4) Pass in 10 th	
						standard.	
						Deputation or	
						re-employment	
						for Armed	
						Forces	
						Personnel:	
						The Armed	
						Forces	
						Personnel due	
						to retire or who	
						are to be	
						transferred to	
						reserve within	
						a period of one	
						year and	
						having the	
						requisite	
						experience and	
						qualification	
						prescribed shall	
						also be	
						considered.	
						Such persons	
						would be given	
						deputation	
						terms upto the	
						date on which	
						they are due for	
						release from	
		l .	l .	l .		10111	

					the Armed	
					Forces;	
					thereafter they	
					uncrearter they	
					may be	
					continued on	
					re- employment.	
					Deputation:	
					Note 1:	
					Departmental	
					officers in the	
					feeder category	
					who are in the	
					direct line of	
					promotion will	
					not be eligible	
					for	
					consideration	
					for	
					appointment on	
					deputation.	
					Cimilantes	
					Similarly,	
					deputationists	
					shall not be	
					eligible for	
					consideration	
					for	
					appointment by	
					promotion.	
					promotion.	
					N	
					Note 2: the	
					period of	
					deputation	
					including the	
					period of	
					deputation in	
					another ex-	
					cadre post held	
					immediately	
					preceding this	
					appointment in	
					the same or	
					some other	
					organization or	

 1	1	1		1	1			
							department of	
							the Central	
							Government	
							shall ordinarily	
							not exceed	
							three years. It	
							may be	
							extendable for	
							another two	
							years and the	
							maximum	
							period of	
							deputation	
							shall not	
							exceed five	
							year.	
							The maximum	
							age limit for	
							appointment by	
							deputation	
							shall be 'Not	
							exceeding sixty	
							five years' as	
							on the closing	
							date of receipt	
							of applications.	
							or applications.	

[F.No. NFRA-01/1/2019-Comp.-MCA] K. V. R. MURTY, Jt. Secy.